F4/214

63

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

JPDS-27

क्रमांक/जयपुर डिस्कॉम/उपमुअ/वा./सी-11/प्रे. 807 जयपुर,दिनांक 3.6.2001

आदेश

विषय:- घरेलू, अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूली के लिये रियायती योजना ।

1. घरेलू, अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के अनेक उपभोक्ताओं में निगम की विद्युत बिलों की काफी मूल राशि बकाया है तथा उस पर प्रतिमाह विलम्ब सरचार्ज (डी.पी.एस.) भी बढता जा रहा है । निगम ने इस बारे में विचार कर ऐसी राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये यह निर्णय लिया है कि निगम की 31.3.2001 तक की मूल बकाया राशि यदि उपभोक्ता एक मुश्त 15जुलाई,2001 तक जमा करवा देंगे तो उनको डी.पी.एस./ब्याज की राशि माफ कर दी जावे ।

2. यदि उपभोक्ता उपरोक्त बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने में असमर्थ हो तो ऐसे उपभोक्ता को किश्त में जमा करवाने का विकल्प भी दिया जायेगा । किन्तु किश्तों में जमा करवाने पर उनको डी.पी.एस./ब्याज में 75 प्रतिशत छूट ही देय होगी । उपभोक्ता को उपरोक्त प्रकार से आंकी गई राशि 50 प्रतिशत, 15 जुलाई,2001 तक जमा करवानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि को उसे अधिकतम तीन द्विमासिक किश्तों के द्वारा जमा करानी होगी ।

3. डी.पी.एस. की राशि संबंधित लेखों से निकालने में अत्यधिक समय लगने की संभावना को देखते हुये यह भी निर्णय लिया गया है कि:-

(i) कटे हुए कनैक्शन से ब्याज माफी के अतिरिक्त जब से बकाया चल रहा है (अगस्त,97 के बाद,क्योंकि पूर्व में डी.पी.एस. नहीं लगता था) से कनैक्शन कटने के महिने तक,जितने माह का समय होता है उतनी प्रतिशत (1 प्रतिशत प्रतिमाह)की बकाया बिल में अतिरिक्त छूट देकर बकाया राशि ली जायेगी । उपरोक्त ब्याज एवं डी.पी.एस. में छूट एक मुश्त राशि जमा कराने पर ही देय होगी । किश्तों में जमा कराने पर ब्याज में पूरी छूट के स्थान पर 75 प्रतिशत छूट तथा डी.पी.एस. के लिये 1 प्रतिशत प्रतिमाह के स्थान पर 0.75 प्रतिशत प्रति माह ही देय होगी ।

(ii) जिन उपभोक्ताओं की ओर राशि बकाया है, परन्तु विद्युत संबंध विच्छेदित नहीं है, से अंतिम बकाया बिल (31.3.2001) में जुलाई,97 के बाद जितने माहों से बकाया चली आ रही है,उससे 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से छूट भुगतान माह तक देते हुये बकाया राशि वसूल की जावे । उपरोक्त छूट एक मुश्त राशि जमा कराने पर देय होगी, किश्तों में जमा कराने पर डी.पी.एस. के लिये उक्त छूट 1 प्रतिशत के स्थान पर 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह ही देय होगी ।

यह रियायत योजना 15.6.2001 से लागू होकर 15 जुलाई,2001 तक वैद्य रहेगी ।

नोट:-

1) उपरोक्त प्रकार से छूट की गणना करने को स्पष्ट करने के लिये उदाहारणार्थ काल्पनिक प्रकरण में 1000/- रू. बकाया राशि मान कर संलग्न तारणी में पूर्ण विवरण दिया जा रहा है । जिससे कि गणना करने में त्रुटि/संशय ना रहे ।

2) इस रियायत योजना के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क/ब्याज की छूट देने के लिये संबंधित सहायक अभियंता सक्षम होंगे ।

3) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिये उपभोक्ता द्वारा यदि बकाया से संबध में कोई कोर्ट केस विचाराधीन हो तो उसे वापस लेना होगा ।

4) यदि उपभोक्ता योजना के अनुसार समय पर राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा ।

5) इस योजना के अन्दर कटे हुये कनैक्शनों को पुन: चालू करवाना आवश्यक नहीं है । पुन: चालू करवाने के लिये सामान्य नियम लागू होंगे ।

6) यह योजना उन पर लागू नहीं होगी जिन्होंने सन् 2000 की रियायती योजना में लाभ ले लिया था ।

7) यह योजना चोरी या अनियमितता (Malpractice) की राशि के लिए लागू नहीं होगी ।

8) उपरोक्त रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिये उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार भर कर सम्बंधित सहायक अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(डा. अशोक सिंघवी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

2/6/2001

संलग्न:- उपरोक्तानुसार